न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 50 / 2022

न सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

सपना कोल्ड ड्रिंक्स भूणाबाई, जयपुर रोड, अजमेर
वा सिंह पुत्र श्री पांचू सिंह निवासी भूणाबाई, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 14.12.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.07.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी अजमेर शहर, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक मैसर्स सपना कोल्ड ड्रिंक्स पर पहुँचे । उक्त दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नही किए अप्रार्थी की दुकान से निम्न गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	310533	INDANE	15.7	23.7	8.0	Domestic Cylinder

को कब्जेराज लिया गया। वरवक्त जांच मैसर्स सपना कोल्ड ड्रिंग्स पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध उपयोग किया जा रहा था । अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया । मौके पर चन्द्रायन गैस सर्विस, अजमेर शहर के कार्मिक अयूब खान पुत्र कयूब खान को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने के बाद आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए । प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन कि दिनांक 29.07.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू सिलेण्डरो का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का सायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज गये घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि दिनांक 29.07.2022 को जिला रसद कारी के जांच दल द्वारा मेरे विरूद्ध घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से उपयोग ने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कार्यवाही की गई है। मेरी न को आवश्यक वस्तु अधिनियम की जानकारी नहीं होने से उसने भूलवश दुकान में ा दिया भविष्य में उक्त कृत्य नहीं किये जाने व प्रकरण निरस्त हेतु निवेदन किया ा।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का वलोकन किया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक पयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 9.07.2022 के अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर